न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री घनश्याम अग्रवाल, विक्रेता एवं मालिक)
   निवासी– माली मौहल्ला, पानी की टंकी के पास, नया बाजार, बोरावड जिला नागौर।
   फर्मः– विनोद कुमार अग्रवाल, नया बाजार, बोरावड जिला नागौर।
2. श्री कमलेशकुमार साहू पुत्र श्री राधा किशन साहू, (मालिक)
   फर्म– एस.आर.एण्डस्ट्रीज गुरूद्वारा के सामने दूदू रोड नरेना जिला जयपुर।

प्रकरण संख्याः– 20/2020

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 "

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल।
2. श्री कमलेश कुमार साहू।
3. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर।

–:निर्णय :–

दिनांक :–12.03.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 21.08.2019 को समय 2:00 पी.एम. पर मैसर्स विनोद कुमार अग्रवाल, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, निवासी–पानी की टंकी के पास, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर, फर्म–मैसर्स विनोद कुमार अग्रवाल, नया बाजार, बोरावड जिला नागौर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, फूड लाईसेंस एवं आगामी खरीद बिल की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारोबारकर्ता की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि संस्थान में 10 कार्टन में (प्रत्येक कार्टन में 24 बोतल, प्रत्येक पैक बोतल 500 एम.एल) रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसमे अमानक का शक होने इनमें से 4 बोतल प्रत्येक 500 एम.एल रिफाइंड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी कीमत कारोबारकर्ता को 164/–रूपये नकद

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल तथा लेबल की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह व खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्य कारोबारकर्ता को बता दिया था कि यह रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूँ। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक Q–1177, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ रिफंइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–1177 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना डिब्बों सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 21.08.2019 को देकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है तथा शेष नमूना को फार्म नं. 6 प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्दकर सील मोहर कर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को दिनांक 21.08.2019 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(5) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 503–42 दिनांक 11.09.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेंर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/58/Act/2019/58 दिनांक 29.08.2019 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) का नमूना मिसब्रान्डेड होना पाया गया है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) को मिसब्रान्डेड होना पया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य है जो जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त के खाद्य पदार्थ रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर)) के मिसब्रान्डेड होना अधिनयम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(4) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 10.03.2021 को अभियुक्त विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल के अभिवक्ता श्री विजयसिंह राजपूरोहित ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी विनोद कुमार अग्रवाल के अधिवक्ता श्री विजयसिंह राजपुरोहित की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है–श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने दिनांक 21.08.2019 को मेरी दुकान से सोयाबीन तेल (यूनिप्योर ब्राण्ड) का सेम्पल लिया था जिसको अमानक पाये जाने से मुझे जरिये नोटिस सूचना दी गई जबकि मै गांव बोरावड़ में एक किराणा की दुकान करता हॅू। जिसमें बाहर से तेल के पीपे, बोतले लाकर अपनी दुकान में खुदरा रूप से विक्रय करता हॅू। इसमें मुझ द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की जाती है फिर भी मेरी दुकान से सोयाबीन तेल में किसी प्रकार की कोई अमानक पायी जाती है तो इसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हॅू निवेदन करता हॅू कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नही होगी। मैं एक गरीब परिवार से हॅू।

अतः प्रार्थना–पत्र मय जवाब पेश कर निवेदन है कि मुझ को लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना करते हुये माफी प्रदान करते हुये उक्त प्रकरण को निस्तारित किया जाने का आदेश फरमावें

प्रकरण की सुनवाई तिथि 22.02.2022 को अभियुक्त कमलेश कुमार साहू ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है–

श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने दिनांक 21.08.2019 को जिस खाद्य पदार्थ रिफाइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) का सेम्पल लिया था। जिसको अमानक पाये जाने से मुझे जरिय नोटिस सूचना दी गई। उक्त रिफाइड सोयाबीन (यूनीप्योर) में किसी प्रकार की कोई अमानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

पायी जाती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निवेदन करता हूँ कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी।

अतः प्रार्थना–पत्र मय जवाब पेश कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को कम से कम जुर्माना करते हुए माफी प्रदान करते हुए उक्त प्रकरण को निस्तारित किया जाने का आदेश फरमावें।

(5) प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन कर न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादीयों पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(6) प्रकरण में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 21.08.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल समय 2:00 पी.एम. पर फर्म:–मैसर्स विनोद कुमार अग्रवाल, नया बाजार, बोरावड़, जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, निवासी–पानी की टंकी के पास, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर उपस्थित थे। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक एवं विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति, फूड लाईसेंस एवं आगामी खरीद बिल की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पाया कि संस्थान में 10 कार्टन में (प्रत्येक कार्टन में 24 बोतल, प्रत्येक पैक बोतल 500 एम.एल) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे, जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्य कारोबारकर्ता को बता दिया था कि यह रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारोबारकर्ता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) के 4 बोतल प्रत्येक 500 एम.एल रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 164/–नगद (अक्षरे एक सौ चौसठ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

व कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–1177 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल एवं गवाहान को पढ़, सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

(8) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म मैसर्स विनोद कुमार अग्रवाल, बोरावाड़ जिला नागौर, खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार अग्रवाल से खाद्य पदार्थ रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किय। फार्म नं. 6 की एक प्रति अलग से लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.08.19 को खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को को देकर रसीद प्राप्त की शेष नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर दिनांक 21. 08.19 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता विनोद कुमार से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) का नमूना Q–1177 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट संख्या LS/58/Act/2019/58 दिनांक 29.08.2019 के अनुसार उक्त रिफांइड सोयाबीन तेल (यूनीप्योर) नमूना नं.–1177 is Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006 होना पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिस्ब्रांण्डेड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:–

धारा 3:–

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zf) " मिथ्या छाप वाला खाद्य " पदार्थ अभिप्रेत है–

(c) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ–

(i) कोई कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त है और

पैकेज उस तथ्य का कथन करने वाले घोष्णात्मक लेबल के बिना है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल

नहीं लगाया गया है या उसकें उल्लंघन है; या

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है; या

धारा 52:–मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्तिः–

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वंय या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो मिथ्या छाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 503–04 दिनांक 11.09.19 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ख़ाद्य पदार्थ सेम्पल Q–1177 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया गया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य है, इस प्रकार, अमानक खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्मः–मैसर्स विनोद कुमार अग्रवाल, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत प्रतिवादी विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम अग्रवाल, निवासी–पानी की टंकी के पास, नया बाजार बोरावड़, जिला नागौर फर्मः–मैसर्स विनोद कुमार अग्रवाल, नया बाजार, बोरावड़ जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा प्रतिवादी कमलेश कुमार साहू पुत्र श्री राधा किशन साहू फर्म–मैसर्स एस.आर. इण्डस्ट्रीज गुरूद्वारा के सामने दूदू रोड़ नरेना जिला जयपुर पर राशि रूपये 27000/–(अक्षरे रूपये सताईस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(9)आदेश दिनांक 12.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना